INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENT IN SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES

e-ISSN:2455-5142; p-ISSN: 2455-7730

MAKING WOMEN AWARE ABOUT THE PROGRAMS RUN BY THE DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT: A HISTORICAL OVERVIEW

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के प्रति महिलाओं को जागरूक करना: एक ऐतिहासिक अवलोकन

***Preeti Kumari, **Prof. (Dr.) Chetlal Prasad**

*Research Scholar, Sainath University, Ranchi, India

**Research Supervisor, MV College of Education, Hazaribagh, India

*** प्रीती कुमारी, **प्रो०(डॉ०) चेतलाल प्रसाद**

*शोधार्थी, साई नाथ विश्वविद्यालय, रांची

**शोध निदेशक, माँ वि० कॉ० ऑफ़ एजुकेशन, हजारीबाग

Paper Received: 21st September 2021; **Paper Accepted:** 25th November 2021; **Paper Published:** 08th December 2021

How to cite the article:

Preeti Kumari, Prof, (Dr.) Chetlal Prasad, Making Women Aware About the Programs Run by the Department of Women and Child Development: A Historical Overview, IJDSSH, July-December 2021, Vol 12, 132-141

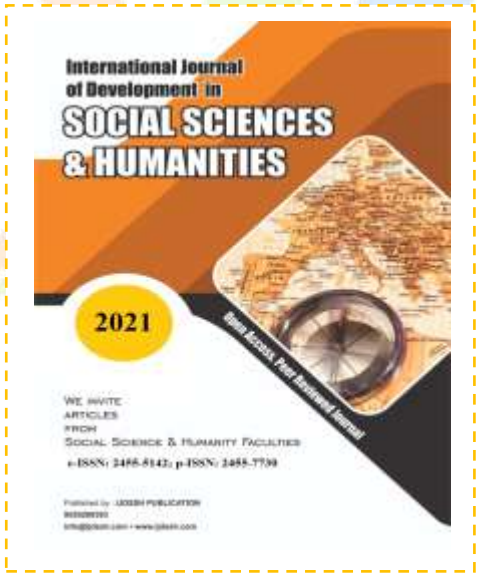

ABSTRACT

The Central Government and the State Government together have started many schemes for the citizens of the country, in which some schemes are for the farmers and some schemes are for the youth of the country, along with this many schemes are also for the women. Today, under what is the government scheme for women, information has been given about some schemes which have been implemented for women. Through this, women can also stand on their own feet, whatever they want to do, they can do it through these schemes. Such as embroidery, weaving or sewing, which will interest them and if they want to do this work, then they can do it through these schemes. The Women and Child Development and Welfare Department of the Central Government is implementing many schemes for women by mobilizing resources, organizing and spreading awareness. There have been post-independence changes in the Government of India's policy on Hilla development. The most notable change came during the fifth five-year plan, when a policy of shifting emphasis from women's welfare to women's development was adopted. For the development and welfare of women and children, the central government has launched several schemes and taken several policy initiatives, including steps for the economic and social empowerment of women and their equality in all aspects of social, economic and political life.

सारांश

केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देश के नागरिको के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू किये हैं , जिनमे कुछ योजना किसानो के लिए और कुछ योजना देश के युवाओं के लिए इसके साथ ही बहुत से योजनाएं महिलाओ के लिए भी है। आज हम महिलाओं के लिए सरकारी योजना क्या है इसके अंतर्गत कुछ योजनाओ की जानकारी दिया गया है जो महिलाओं के लिए लागु किया गया है। इसके माध्यम से महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है जो वो करना चाहती है इन योजनाओं के माध्यम से कर सकती है। जैसे कड़ाई , बुनाई या सिलाई जो उनकी रूचि होगी और वे ये काम करना चाहती होंगी तो इन योजनाओ के माध्यम से कर सकती हैं। केंद्र सरकार का महिला तथा बाल विकास एवं कल्याण विभाग संसाधन जुटाकर, संगठित करके तथा जागरूकता फैलाकर स्त्रियों के लिए कई योजनाएँ कार्यन्वित कर रहा है। हिला विकास पर भारत सरकार की नीति में स्वतंत्रता के बाद के परिवर्तन हुए हैं। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया जब स्त्रियों के कल्याण से हटकर स्त्रियों के विकास पर जोर देने की नीति अपनाई गई। महिला तथा बच्चों के विकास एवं कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएँ शुरू की हैं तथा कई नीतिगत पहले की हैं जिनमें स्त्रियों के आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के उनके पहलुओं में बराबरी हासिल करने के लिए कदम भी सामिल हैं।

परिचय :

"आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं"-जवाहरलाल नेहरू

किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। महिला और पुरुष दोनों समान रूप से समाज के दो पहियों की तरह कार्य करते हैं और समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। दोनों की समान भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिये जाएँ, क्योंकि यदि कोई एक पक्ष भी कमज़ोर होगा तो सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो पाएगी। परंतु देश में व्यावहारिकता शायद कुछ अलग ही है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में महिला साक्षरता दर मात्र 64.46 फीसदी है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 82.14 फीसदी है। उल्लेखनीय है कि भारत की महिला साक्षरता दर विश्व के औसत 79.7 प्रतिशत से काफी कम है।

भारत में महिला शिक्षा वर्तमान परिदृश्य

- भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़े दर्शाते हैं कि राजस्थान (52.12 प्रतिशत) और बिहार (51.50 प्रतिशत) में महिला शिक्षा की स्थिति काफी खराब है।
- जनगणना आँकड़े यह भी बताते हैं कि देश की महिला साक्षरता दर (64.46 प्रतिशत) देश की कुल साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से भी कम है।
- बहुत कम लड़कियों का स्कूलों में दाखिला कराया जाता है और उनमें से भी कई बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं। इसके अलावा कई लड़कियाँ रूढ़िवादी सांस्कृतिक रवैये के कारण स्कूल नहीं जा पाती हैं।
- कई अध्ययनों के अनुसार, भारत में 15-24 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोज़गारी दर 11.5 प्रतिशत है, जबकि समान आयु वर्ग के युवा पुरुषों के मामले में यह 9.8 प्रतिशत है।
- वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि 15-18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4 प्रतिशत लड़कियाँ स्कूली शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं और इनमें से अधिकतर या तो घरेलू कार्यों में संलग्न होती हैं या भीख मांगने जैसे कार्यों में।
- आँकड़े यह भी बताते हैं कि भारत में अभी भी लगभग 145 मिलियन महिलाएँ हैं, जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा स्थिति और अधिक गंभीर है।

भारत महिलाओं की स्थिति का इतिहास :

भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति को समझने के लिये आवश्यक है कि इतिहास में इसकी विकास यात्रा को भी समझा जाए। इसे मुख्यतः 03 भागों में विभक्त किया गया है -

(1) प्राचीन वैदिक काल,

(2) ब्रिटिश इंडिया और

(3) स्वतंत्र भारत में विभाजित कर देखा जा सकता है।

प्राचीन वैदिक काल

- भारत में महिला शिक्षा का इतिहास प्राचीन वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि लगभग 3000 से अधिक वर्ष पूर्व वैदिक काल के दौरान महिलाओं को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था और उन्हें पुरुषों के समान समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग समझा जाता था।
- वैदिक अवधारणा के स्त्री शक्ति सिद्धांत के अनुसार, महिलाओं की देवी के रूप में पूजा शुरू हुई- उदाहरण के लिये शिक्षा की देवी सरस्वती।
- वैदिक शास्त्र कहते हैं कि "लड़कों के साथ लड़कियों को उचित देखभाल के साथ पोषित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।"
- वैदिक साहित्य में उन महिलाओं का भी उल्लेख किया गया है जिन्होंने वैदिक अध्ययन का रास्ता चुना।

ब्रिटिश इंडिया

- इस काल में पहला ऑल-गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल वर्ष 1821 में दक्षिण भारत के तिरुनेलवेली में स्थापित किया गया था।
- वर्ष 1840 तक स्कॉटिश चर्च सोसाइटी द्वारा दक्षिण भारत में निर्मित छह स्कूल मौजूद थे जिनमें कुल 200 लड़कियों का नामांकन कराया गया था।
- वर्ष 1848 में पुणे में गर्ल्स स्कूल की शुरुआत करने वाले ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई पश्चिमी भारत में भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थे।
- पश्चिम भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत पुणे में गर्ल्स स्कूल के निर्माण के साथ हुई जिसे वर्ष 1848 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई ने शुरू किया था।
- उल्लेखनीय है कि 1850 तक मद्रास मिशनरियों ने स्कूल में लगभग 8,000 से अधिक लड़कियों का नामांकन कराया था।
- ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यक्रम वुड्स डिस्पैच ने वर्ष 1854 में महिलाओं की शिक्षा और उनके लिये रोज़गार की आवश्यकता को स्वीकार किया।
- वर्ष 1879 में स्थापित बेथ्यून कॉलेज वर्तमान में एशिया का सबसे पुराना महिला कॉलेज है।
- गौरतलब है कि महिलाओं की समग्र साक्षरता दर वर्ष 1882 में 0.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1947 में 6 प्रतिशत हो गई।

स्वतंत्र भारत

- स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर काफी कम थी, जिसे सरकार द्वारा नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1958 में सरकार ने महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं। इन सिफारिशों का सार यह था कि महिला शिक्षा को भी पुरुष शिक्षा के सामानांतर पहुँचाया जाए।

- वर्ष 1959 में इसी विषय पर गठित एक समिति ने लड़कों और लड़कियों के लिये एक समान पाठ्यक्रम को विभिन्न चरणों में लागू करने की सिफारिश की।
- वर्ष 1964 में स्थापित शिक्षा आयोग ने बड़े पैमाने पर महिला शिक्षा के विषय में बात की और वर्ष 1968 में भारत सरकार से एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने की सिफारिश की।

महिला शिक्षा की आवश्यकता

- महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे- दहेज़ प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है।
- यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योंकि अधिक-से-अधिक शिक्षित महिलाएँ देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाएंगी।
- हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण जारी किया गया है, जिसमें बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के बीच सीधा संबंध दिखाया गया है।
- इस सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि महिलाएँ जितनी अधिक शिक्षित होती हैं, उनके बच्चों को उतना ही अधिक पोषण आधार मिलता है।
- इसके अलावा कई विकास अर्थशास्त्रियों ने लंबे समय तक इस विषय का अध्ययन किया है कि किस प्रकार लड़कियों की शिक्षा उन्हें परिवर्तन के एजेंट के रूप में उभरने में सक्षम बनाती है।

महिला शिक्षा के मार्ग में बाधाएँ:

- भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता है और उन्हें घर की चहारदीवारी तक सीमित कर दिया जाता है। हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में स्थिति अच्छी है, परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
- हम दुनिया की सुपर पॉवर बनने के लिये तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं, परंतु लैंगिक असमानता की चुनौती आज भी हमारे समक्ष एक कठोर वास्तविकता के रूप में खड़ी है। यहाँ तक कि देश में कई शिक्षित और कामकाजी शहरी महिलाएँ भी लैंगिक असमानता का अनुभव करती हैं।
- समाज में यह मिथ काफी प्रचलित है कि किसी विशेष कार्य या परियोजना के लिये महिलाओं की दक्षता उनके पुरुष समकक्षों के मुकाबले कम होती है और इसी कारण देश में महिलाओं तथा पुरुषों के औसत वेतन में काफी अंतर आता है ।
- देश में महिला सुरक्षा अभी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसके कारण कई अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। हालाँकि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में काफी काम किया गया है, परंतु वे सभी प्रयास इस मुद्दे को पूर्णतः संबोधित करने में असफल रहे हैं।

महिला शिक्षा हेतु सरकार के प्रयास

- 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंग अनुपात के मुद्दे को संबोधित करने हेतु की गई थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिये शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में विशेष रूप से कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिये प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु की गई थी।
- महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार महिलाओं की शिक्षा में सुधार व उन्हें सशक्त करने हेतु की गई थी।
- यूनिसेफ भी देश में लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के साथ काम कर रहा है।
- इसके अलावा महिला शिक्षा के उत्थान की दिशा में झारखंड ने भी एक बड़ी पहल की है। झारखंड स्कूल ऑफ एजुकेशन ने कक्षा 9 से 12वीं तक की सभी छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और नोटबुक बाँटने का फैसला किया है।
- बालिका समृद्धि योजना 2 अक्टूबर, 1887 को इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी कि बालिका की समग्र स्थिति को ऊपर उठाना है और उसके प्रति परिवार तथा समाज के व्यवहार में परिवर्तन बना है।

इस योजना में भारत सरकार द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में (ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में) अगस्त, 1947 को या इससे पूर्व पैदा हुई दो बालिकाओं को शामिल किया गया है। 1 वर्ष 1997-98 और 1990-99 के दौरान यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की स्थान परिव्यय के रूप में कार्यान्वित की गई थी। इसके अंतर्गत नवजात कन्या शिशुओं की माताओं को 500 रुपये का अनुदान देने हेतु डी.आर.डी.ए. तथा डी.यू.डी.ए. जैसी जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेन्सियों को धन राशि जारी की गई थी।

वर्ष 1999 में इस योजना की समीक्षा की गई थी और समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजनाअवसरंचना के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत जल प्रदान करने हेतु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता देन हेतु इसका केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में पुनर्निर्माण किया गया

ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों व बच्चों के विकास कार्यक्रम

द्वारका (DWCRA) – यह कार्यक्रम सन 1983 में प्रारंभ किया गया। ग्रामीण स्त्रियों को सशक्त करना इसका उद्देश्य है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रम में उनकी भागीदारी में सुधार करना, उनकी आमदनी में सुधार, व्यावसायिक कौशल की प्राप्ति, उनके दैनिक कार्य बोझ में कमी तथा नारी प्रतिष्ठा का बेहतर अभिगम तथा कुछ सामाजिक सेवाएं देना है।

इंदिरा महिला योजना (आई.एम.वाई.)

इंदिरा महिला योजना स्त्रियों के एकीकृत विकास की योजना है। इस योजना में प्राथमिकता स्त्रियों के क्षमता- विकास तथा उनके पक्ष में आय अर्जन एवं जागृति संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है और स्त्रियों की प्रगति के लिए चलाई

गई सारी योजनाओं को समुद्धिष्ट करने का विचार किया गया है। अभी इसे देश के 200 ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है।

01. सती (निवारण) अधिनियम, 1987
02. महिलाओं का अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम, 1948
03. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1948
04. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
05. भारतीय दंड संहिता, 1960
06. अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956

स्त्री शक्ति पुरस्कार

भारतीय इतिहास में पाँच प्रमुख महिला हस्तियों, यानि कन्नगी, माता जीजाबाई, देवी अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई तथा रानी गैडिन्ल्यू के नाम पर वर्ष 1999 में विभाग द्वारा स्त्री शक्ति पुरस्कार के रूप में पाँच राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए गए। ये पुरस्कार प्रति वर्ष ऐसी स्त्रियों विशेष को सम्मान देने तथा उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिए जाएँगे, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों पर विजय पाई हो और शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, ग्रामीण उद्योग, बन और पर्यावरण सरंक्षण तथा कला और मीडिया के जरिए स्त्रियों के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने तथा स्वचेतना जगाने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया हो। प्रत्येक पुरस्कार में एक लाख रुपये का नकद इनाम तथा प्रशस्ति-पत्र होता है। मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा पुरस्कारों के लिए चयन किया जाता है।

स्त्री सशक्तिकरण में राष्ट्रीय महिला आयोग का योगदान

स्त्रियों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 31 जनवरी, 1992 को एक वैधानिक संस्था के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया।

झारखण्ड राज्य में कल्याणकारी कार्यक्रम व योजनायें-

मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना

बेटियों के बारे में समाज में पाई जानेवाली नकारात्मक सोच, लड़कों के मुकाबले उनकी कम होती संख्या बालिका शिक्षा की कमजोर स्थिति बेटियों की जल्दी ब्याह देने की प्रवृति जैसी समस्याओं का निराकरण आदि को देखते हुए लक्ष्मी लाडली योजना राज्य में 15 नवम्बर से चालू किया गया है।

स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना

इस योजना के अन्तर्गत राशि के भुगतान की व्यवस्था इस तरह विकसित की जायेगी कि निःशक्तों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। कालांतर में स्थायी व्यवस्था के तहत् इस राशि का भुगतान बैंक/पोस्ट आफिस के माध्यम से किया जायेगा। नाबालिग तथा मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए राशि का भुगतान उन्हें किया जायेगा जिनपर वे आश्रित है। शेष निःशक्तों को राशि का भुगतान सीधा किया जायेगा। जबतक बैंक/पोस्ट आफिस के माध्यम से राशि के भुगतान की व्यवस्था नहीं हो जाती है तबतक प्रखण्ड स्तर पर शिविर लगाकर जिला स्तर से प्रतिनियुक्त किसी वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

विकलांग कार्यशाला योजना

इस योजना विकलांग व्यक्तियों जीवन यापन शैली से संबंधित प्रशिक्षण आदि दिया जाता है।
विकलागों के लिए यंत्र एवं उपकरण इस योजना अन्तर्गत सभी विकलांग व्यक्तियों को उनके बेहतर एवं सुविधा जनक जीवन यापन हेतु आवश्यक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराया जाता है।

महिलाओं के दक्षता एवं उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण

इस योजना अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं को उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यवसाय के माध्यम से धन उपार्जित कर सकें और अपने परिवार के बेहतर जीवन यापन हेतु वित्तीय आधार दे सकें।

डायन प्रथा/दहेज उन्मुलन योजना

इस योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में फैले कुरितियों (डायन प्रथा/दहेज प्रथा) के उन्मुलन हेतु नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र, दुरदर्शन आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कर ग्रामिणों को जागरूक बनाया जाता है।

राजीव गांधी (सबला) योजना

इस योजना अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को (11 वर्ष से 18 वर्ष) सशक्तिकरण हेतु प्रति दिन पोषाहार स्वास्थ शिक्षा उपलब्ध कराया जाता हैं एवं विभिन्न प्रकार के दैनिक जीवन उपयोगी प्रशिक्षण दिये जाते हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार की कन्या को लाभ-प्रदान किया जाता है।
लाभान्वितों के चयन में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा पूर्व से विवाहित न हो।
वह वहां का स्थाई निवासी हो जिस प्रखण्ड में वह निवास करता हो।
इस योजना के तहत लाभुको को दिनाक 01.11.2011 के प्रभाव से आर्थिक सहायता 15,000/- है।

सिद्धू कान्हू आवास योजना

ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के लिए पूर्णतः अनुदान पर आधारित 'सिद्धू कान्हू आवास योजना'' नाम से एक नई योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है।

इस योजना के तहत प्रति आवास 45,000/- रुपये की मानक दर पर राशि उपलब्ध कराई जाती है तथा लाभार्थियों के द्वारा आवास निर्माण स्वयं कराया जाता है।

जिला स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों के माध्यम से कराया जाता है।

लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है तथा लाभार्थियों के चयन में जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाता है। इस योजना के लिए गांवों के चयन हेतु निम्नलिखित शर्ते होती हैः-

क) चयनित गांवों में परिवारों की संख्या 50 से कम न हो तथा इसकी जनसंख्या 200 से कम न हो।

ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या 50 प्रतिशत से कम न हो।

ग) लाभुकों के चयन में यह सुनिश्चित किया जाना है कि उन्हें पूर्व में इंदिरा आवास योजना/दीनदयाल योजना या किसी भी प्रकार की सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं प्रदान किया गया हो।

अनु. जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लिए कल्याणकारी योजनायें

गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अनु° जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के गरीब सदस्यों को इलाज हेतु चिकित्सा सहायता राशि अधिकतम 3000/- रुपये तक दिया जाता है। अत्यन्त गंभीर मामले में चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु 10,000/- मात्र तक के अनुदान की स्वीकृति का शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित की गई है।

वैधिक सहायता

सिविल, क्रिमिनल फौजदारी एवं राजस्व मुकदमों को खर्च वहन करने हेतु गरीब अनु° जाति/जनजाति के सदस्यों को प्रति मुकदमा पर सुनवाई के लिए प्रति दैनिक शुल्क अलग-अलग दैनिक न्यायालयों के लिए अलग-अलग दर निर्धारित किया गया है जो 125 रु° 1250 रु° है। मुकदमा में एक पक्ष सरकार न हो एवं मुकदमा गैर अनु° जाति/जनजाति के बीच हो।

समाज कल्याण विभाग अपने सीमित संसाधनों से निःशक्त व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं, निराश्रित व्यक्तियों के लिये योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। विभाग द्वारा जहां एक ओर वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु नियमों का क्रियान्वयन कराया जाता है वहीं दूसरी ओर जो बच्चे परिस्थितियों वश आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हैं अथवा जिन्हें देखरेख की अपेक्षा है, उनके पुनर्वास के लिये योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं। झारखण्ड राज्य के समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किये जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रम हैं।

निष्कर्ष:

महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थिति के अंतर्गत प्राचीन काल में महिलाओं की अत्यन्त ही निम्न थी, जब स्त्रियों की स्थिति ही ठीक नहीं थी, तब उनके संतानों की स्थिति ठीक कैसे हो सकती थी। समाज में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की थी नारियों के पालन-पोषण को पड़ोसी के पौधों के समान बताया जाता है।

परन्तु महिला एवं बाल विकास विभाग के गठन के पश्चात् उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों से महिलाओं एवं बच्चों को अनेक तरह के लाभ मिलने लगे। ये योजनाएँ दÿाक पुत्री योजना, आयुष्मति योजना, किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना, समेकित बाल विकास परियोजना, बाल संरक्षण गृह, महिला सशक्तिकरण नीति तथा स्वसहायता समूह हैं, जिनमें महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति में सुधार आने लगा है तथा इस सुधार को कायम रखने के लिए अनेक कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं- दहेज प्रथा अधिनियम 1961, बाल विवाह अधिनियम1956, सतीप्रथा अधिनियम1987, तलाक संबंधी अधिनियम, बाल शिक्षा विकास हेतु अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम, हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन रोक अधिनियम आदि।

संदर्भ ग्रंथ सूची

01. महिला एवं बल विकास मंत्रालय भारत सर्कार का रिपोर्ट 2001.
02. महिला प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम सहयोग योजना, राष्ट्रीय पोर्टल, भारत सरकार
03. विकासपीडिया का ऑनलाइन रिपोर्ट 2020
04. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015
05. महिला एवं बल विकास मंत्रालय, झारखण्ड सरकार

REFERENCES

1. Ministry of Women and Child Development, Report of Govt of India, 2001
2. Mahila Prashikshan aur Rojgaar Karyakram Sahyog Yojna, National Portal, Govt of India
3. Online Report of Wikipedia, 2020
4. Economic Survey Report of India, 2015
5. Ministry of Women and Child Development, Govt of Jharkhand